झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा
पंचम् (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण– सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम– 147 के अन्तर्गत दिनांक– 09.03.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :–

क्र०सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01–	श्री भानु प्रताप शाही स०वि०स०	झारखण्ड राज्य के सभी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, झारखण्ड में टेट पास हजारों युवक युवतियाँ है जो कई वर्षो से सरकारी विद्यालयों में सेवा देते आ रहे है। ये शिक्षक नियुक्ति की सारी अहर्त्ताओं को पूरा करते हैं। अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहेंगे कि राज्य के सभी टेट पास उम्मीदवारों की सीधे शिक्षक में नियुक्ति की जाय।	स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता
02–	श्री वैद्यनाथ राम स०वि०स०	झारखण्ड राज्य के सभी पोलिटेकनिक डिप्लोमा कॉलेज के छात्र–छात्राओं के सभी संकाय(In Civil Engineering, Electric, Mechanical, Computer, Electronics etc) का सत्र 2014–2017 2015–2018 2016–2019 2017–2020 के सेमेस्टर 1, 3, 4 एवं 5 की परीक्षा अभी तक नहीं ली गयी है। छात्र–छात्राओं का कहना है कि सिलेबस परिवर्त्तन हो जाने के कारण पूर्व के सिलेबस पर आधारित इनकी परीक्षा नही ली जा रही है जिसके कारण इन सभी	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

01.	02.	03.	04.
		विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय है। अतएव मैं पूर्व के सिलेबस पर आधारित बैक पेपर से उक्त सेमेस्टर की परीक्षा लेने का सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
03-	श्री अमित कुमार यादव स०वि०स० श्री विनोद कुमार सिंह स०वि०स० डॉ० लम्बोदर महतो स०वि०स०	हजारीबाग जिला के बरकट्ठा , चलकुशा, ईचाक, दारू, टाटीझरिया एवं कोडरमा जिला के जयनगर एवं चंदवारा प्रखण्डों के करीब 3000 मकानों में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं अन्य योजना के तहत् B.P.L. परिवारों के मकानों में एक से अधिक विद्युत कनेक्शन एक ही मकान में किया गया है जिसके कारण वर्त्तमान में एक घर में दो से तीन बिजली बिल भेजा जा रहा है, B.P.L. परिवारों को अपने मकान में एक से अधिक बिजली बिल भेजे जाने से उन्हें घोर आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अतः व्यापक लोकहित में उपर्युक्त प्रखण्डों के साथ-साथ संपूर्ण राज्य में प्रत्येक मकानों में भेजे गए एक से अधिक बिजली बिल पर रोक लगाने एवं अत्यधिक बिजली बिल को माफ करने हेतु सदन एवं सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।	ऊर्जा
04-	श्री उमा शंकर अकेला स०वि०स० श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह स०वि०स०	हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही, चौपारण एवं चन्दवारा प्रखण्डों की हजारों एकड़ रैयतों की जमीन वर्ष 1951-52 में D.V.C. द्वारा अधिगृहित कर ली गई है और तिलैया जलाशय का निर्माण कराया गया। उक्त प्रखण्डों के लाखों परिवार विस्थापित परिवार है लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इन्हें जिन जमीनों पर बसाया गया है, वह खतियान में जंगल झाड़ व गैर मजरूआ अंकित है जिसके दुष्परिणाम स्वरूप इन किसानों के नाम से जमीन का रसीद निर्गत नहीं हो रहा है। आज 70 वर्षों के बीतने के बाद भी ये किसान तंगहाली की जिन्दगी जीने को मजबूर हैं। अब इनकी जमीनों को	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
		NHAI द्वारा रोड चौड़ीकरण करने हेतु अधिगृहित किया जा रहा है। इससे सम्पूर्ण क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है और आमजन आक्रोशित है। अतः उक्त सम्पूर्ण मामलों की जाँच की मांग एवं किसानों के नाम से रसीद निर्गत करने हेतु सदन का ध्यानाकृष्ट किया जाता है।	
04-	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी स०वि०स०	गढ़वा जिला के मझिऑव प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम पृथ्वीचक में R.K.T.C. कम्पनी द्वारा हेवी क्रेशर प्लान्ट लगाया जा रहा है। उक्त प्लान्ट मझिऑवखुर्द गहिड़ी तथा पृथ्वीचक ग्राम के वीच है तथा इसी से सटे 200 मीटर की दूरी पर इन्टर डिग्री तथा एम०ए० कॉलेज है जिससे धूस तथा आवाज से जनता तथा बच्चे विद्यार्थी परेशान है। इस सम्बन्ध में उपायुक्त तथा स्थानीय पदाधिकारियों को सूचित किया गया है, परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है तथा खनिज विभाग तथा पर्यावरण विभाग एवं प्रशासन के मिली भगत से कार्य किया जा रहा है, जिससे जनआक्रोश बना हुआ है। अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनहित में कार्रवाई की जाय।	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी

राँची,
दिनांक- 09 मार्च, 2021 ई०।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ०पृ०उ०

ज्ञाप सं0-प्र0व्या0-03/2021-...1135...../वि0 स0, राँची, दिनांक-8/3/21

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/ऊर्जा विभाग/राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्र0व्या0-03/2021-....1135/वि0 स0, राँची, दिनांक- 8/3/21

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।
08.03.21

सुभाष/-